भारतीय सांख्यिकीय संस्थान

203, बी.टी. रोड, कोलकाता -108

सं. सी. 07/आर.बी.सी **23 अप्रैल, 2024**

कार्यालय ज्ञापन

विषय : संस्थान के पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को महंगाई राहत का अनुदान – 01 जनवरी, 2024 से प्रभावी संशोधित दरें।

उपर्युक्त विषय में इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या सी 100/आर.बी.सी. दिनांक 07 नवंबर, 2023 का अवलोकन किया जाए। भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/02/2024-पी. एंड पी.डब्ल्यू.(डी), दिनांक 13 मार्च, 2024 साथ ही साथ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. I-12011/17/2016-आईएसआई (भाग-I) दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 एवं कार्यालय ज्ञापन सं. I-12011/17/2016-आईएसआई (भाग-I) दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 के अनुसरण में 10 अक्टूबर, 2018 को आयोजित बैठक में संस्थान के परिषद द्वारा हल किया गया कि संस्थान के पेंशनभोगियों/ परिवार पेंशनभोगियों को देय महंगाई राहत (डी आर) की दर को **01 जनवरी, 2024** के प्रभाव से **46%** की विद्यमान दर से बढ़ाकर **50%** किया जाएगा ।

2. महंगाई राहत के भुगतान में अंतर्ग्रस्त किसी रुपये के अंश को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।

3. नियोजित परिवार पेंशनभोगियों एवं पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों की बाबत महंगाई राहत की मंजूरी को शासित करनेवाले अन्य प्रावधान सी सी एस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम -52 एवं समय-समय पर यथासंशोधित पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या: 45/73/97-पी एवं पी डब्ल्यू (जी) दिनांक 02.07.1999 एवं कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 38/88/2008-पी एंड पी डब्ल्यू (जी), दिनांक 09 जुलाई 2009 द्वारा यथा संशोधित संस्थान के कार्यालय ज्ञापन सं. सी 1118/आर.बी.सी. दिनांक 26 जुलाई 2001 एवं कार्यालय ज्ञापन सं. सी 1529/आरबीसी दिनांक 13 नवंबर 2009 में निहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगे। जो पेंशनभोगी एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनके मामले में महंगाई राहत के विनियमन से संबंधित प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे ।

4. सभी भुगतान प्राधिकारी इस कार्यालय ज्ञापन के आधार पर संस्थान के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को राहत के भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

23.4.24

(रविन्द्र कुमार)
मुख्य कार्यपालक (प्रशा. एवं वित्त)

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. सभी प्रभागों / विभागों / अनुभागों / यूनिटों आदि एवं बहिर्वर्ती केन्द्रों / कार्यालयों आदि के प्रमुखों को ।
2. सेवानिवृत्ति हितलाभ कक्ष।
3. कार्मिक यूनिट।
4. लेखा अनुभाग, कोलकाता।
5. निदेशक का कार्यालय ।
6. मुख्य कार्यपालक (प्रशा. एवं वित्त) का कार्यालय ।
7. परिषद अनुभाग को अगली परिषद बैठक में रिपोर्टिंग करने हेतु।
8. प्रमुख, सीएसएससी को आई एस आई वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
9. पेंशनभोगी संघ ।